

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232595
SG-DL-E-12012022-232595

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 372
No. 23]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943	[N. C. T. D. No. 372

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-I (पुलिस)

(स्थापना विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

फा.सं. एफ. 13/7/2012/गृह पुलिस-1/स्थापना/3057 से 3062.—पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 5(ख) के साथ पठित, धारा 147 की उप-धारा (2)के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 11.09.2021 की अधिसूचना संख्या फा0 13/7/2012/गृह पुलिस-1/स्था0/3586-3591 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस (सेवाओं की सामान्य शर्तें) नियमावली 1980 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1.	संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ	(1)	इन नियमों को दिल्ली पुलिस (सेवाओं की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा ।
		(2)	ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
2.	नियम 7 में संशोधन		दिल्ली पुलिस (सेवाओं की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 में विद्यमान नियम-7 के लिए निम्नलिखित को सन्निविष्ट/प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

7:— पुरस्कार (प) पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, जनता या पुलिस प्रत्येक के लिए निर्धारित निम्नलिखित सीमा तक पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं :

क.	पुलिस आयुक्त	प्रशस्ति पंजी	प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट योग्यता के कार्यों के लिए 50,000/—रुपये तक नकद पुरस्कार। 50,000/—रुपये से अधिक के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली की अनुशंसा पर दिल्ली के उपराज्यपाल स्वीकृतिदाता प्राधिकारी होंगे।
ख.	विशेष पुलिस आयुक्त	प्रशस्ति पत्र	ऐसी विशेष योग्यता वाले कार्य के प्रत्येक मामले में 20,000रुपये/— तक नकद पुरस्कार जो संयुक्त पुलिस आयुक्त की तुलना में सम्मान के उच्च दर्जे के पात्र हैं, को देने का अधिकार है।
ग.	संयुक्त पुलिस आयुक्त	प्रशस्ति पत्र	ऐसी विशेष योग्यता वाले कार्य के प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये/— तक नकद पुरस्कार जो अपर पुलिस आयुक्त की तुलना में सम्मान के उच्च दर्जे के पात्र हैं, को देने का अधिकार है।
घ.	अपर पुलिस आयुक्त	प्रशस्ति पत्र	ऐसी विशेष योग्यता वाले कार्य के प्रत्येक मामले में 4,000रुपये/— तक नकद पुरस्कार जो पुलिस उपायुक्त की तुलना में सम्मान के उच्च दर्जे के पात्र हैं, को देने का अधिकार है।
ड.	पुलिस उपायुक्त	प्रशस्ति कार्ड श्रेणी—I एवं II	प्रत्येक मामले में श्रेष्ठ कार्यों के विशेष उदाहरणों या अपराध की जानकारी देने अथवा रोकथाम संबंधी कार्यों में, कानून एवं व्यवस्था के संरक्षण में, महिला सुरक्षा एवं महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध संबोधन में योगदान देने या अन्य प्रशासनिक मामलों में पुलिस की सहायता हेतु सम्मानित करने के लिए 2000/—रुपये तक का नकद पुरस्कार।

(ii) जनता को केवल पुलिस की अपराध का पता लगाने अथवा अपराधियों की गिरफ्तारी में सहायता अथवा विशेष महत्व की जानकारी देने के लिए पुरस्कार स्वीकृत किया जाएगा। जबकि दिल्ली पुलिस के अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को पुलिस गतिविधि की किसी शाखा में विशेष योग्यता के प्रदर्शन अथवा कानून प्रशासन, शांति, सुरक्षा एवं उचित व्यवस्था बनाए रखने संबंधी असाधारण रूप से उत्तम कार्य या असाधारण संबोधन, तीक्ष्णता, क्रमशीलता, कर्तव्यपरायणता अथवा साहस प्रदर्शित करने वाले आचरण हेतु प्रशस्ति पत्र/नकद पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन कुमार, उप सचिव/गृह-1(गृह)

HOME-I (POLICE)
(Establishment Department)
NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2022

F. No. F.13/7/2012/HP-1/Estt./3057 to 3062.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 147, read with section 5 (b) of the Delhi Police Act, 1978 and in supersession of Notification No.F.13/7/2012/HP-1/Estt./3586-3591 dated 11.09.2021, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules further to amend the Delhi Police (General Conditions of Services) Rules 1980, namely:

1.	Short title and Commencement	(1)	These Rules shall be called the Delhi Police (General Conditions of Services) (Amendment) Rules, 2021.
		(2)	They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2.	Amendment of Rule-7		In the Delhi Police (General Conditions of Services) (Amendment) Rules, 2019 for existing Rule-7, the following shall be inserted/substituted namely:

7:- “Rewards (i) The Commissioner of Police, Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police may sanction rewards to the Public or Police, upto the limits noted against each here under:

a.	Commissioner of Police	Commendation Roll	Cash reward upto Rs. 50,000/- to an individual in each case, for actions of outstanding merit. For a reward in excess of Rs. 50,000/-, the Lt. Governor, Delhi shall be the sanctioning authority on the recommendation of Commissioner of Police, Delhi.
b.	Special Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs. 20,000/- in each case, for action of such special merit as to deserve a higher form of recognition than a Joint Commissioner of Police is empowered to give.
c.	Joint Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs. 10,000/- in each case, for action of such special merit as to deserve a higher form of recognition than an Additional Commissioner of Police is empowered to give.
d.	Additional Commissioner of Police	Commendation Certificate	Cash reward upto Rs. 4,000/- in each case, for action of such special merit as to deserve a higher form of recognition than a Deputy Commissioner of Police is empowered to give.
e.	Deputy Commissioner of Police.	Commendation Card Class-I & II	Cash reward upto Rs. 2,000/- in each case in recognition of specific instances of good work or assistance to Police in connection with the prevention or detection of Crime, the preservation of law and order, contribution towards addressing violence against women & women safety or in other administrative matters.

(ii) Reward to public shall be sanctioned only for assistance or information of special merit rendered to police in detection of crime or apprehension of criminals, whereas the police officers of subordinate ranks and other employees of the Delhi Police may be sanctioned commendation certificate/cash reward for exhibiting special merit in any branch of police activity or for exceptionally good work in connection with the administration of law, maintenance of peace, safety and good order or the conduct displaying exceptional address, acuteness, industry, fidelity or courage.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PAWAN KUMAR, Dy. Secy./Home-I (Police)